

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/मूकण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वायत्त विद्युत् कीवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 779 दिनांक 20/11/2020

अर्थात् अमरी इलाका जोधपुर क्वार्टर जी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008 P.No:- 07-वी ग्राम सुवर्णा

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 18453/- जमा करार संख्या 109/112 (66-66/112)

जसिये रसीद संख्या 2069/2214, 2215

दिनांक 20/11/2020 को जमा करा दी है ।

23/11/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Spandee
11/11/2020

6372880171